



भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)
पोस्ट बॉक्स नं. 8672, 13/1, थर्ड सीवार्ड रोड, वाल्मीकि नगर,
तिरुवान्मियूर, चेन्नई - 600 041

ईमेल: awbi@md3.vsnl.net.in / animalwelfareboard@gmail.com वेबसाइट : www.awbi.org
दूरभाष : 044-24571024/044-24571025 फ़ैक्स : 044-24571016

वर्ष 2017-2018 के लिए जीव जन्तु कल्याण संस्थाओं को वित्तीय (नियमित अनुदान) सहायता प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र (कृपया दिये गये निर्देश पढ़ें)

1. अ) संस्था का नाम, पूरा पता, पिन कोड सहित :

आ) दूरभाष, मोबाईल, फ़ैक्स एवं ई-मेल सहित :

इ) एडब्ल्यूबीआई कोड संख्या :

ई) नीति आयोग यूनिट नम्बर :

उ) संस्था का प्रमुख कार्य/उद्देश्य :

ऊ) बैंक का नाम, शाखा, खाता संख्या तथा बैंक का आई.एफ.एस.सी.कोड संख्या :

(सभी विवरणों को संलग्न नमूनानुसार बैंक से सत्यापित करवाकर भिजवायें)

ए) वित्तीय सहायता आवेदन शुल्क रू.100/- : डी.डी.सं. दिनांक
आवेदन पत्र के साथ भेजें।

(डीडी के पीछे बोर्ड की मान्यता कोड संख्या लिखें। : बैंक का विवरण

2. पिछले वित्तीय वर्ष 2016-2017 के लिए प्राप्त अनुदान/आय :

अ) एडब्ल्यूबीआई से प्राप्त अनुदान (योजनानुसार विवरण दें-
नियमित अनुदान, शैल्टर, एबीसी, एम्बुलेंस, प्राकृतिक आपदा)

योजनाएं	नियमित	शैल्टर	ए.बी.सी.	एम्बुलेंस	प्राकृतिक आपदा
प्राप्त अनुदान					
उपयोगिता प्रमाण-पत्र/आडिट लेखा प्रस्तुत करने का विवरण तिथि के साथ					

आ) राज्य सरकार से, यदि अनुदान प्राप्त किया हो तो :

इ) केन्द्र सरकार से भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड के अलावा अनुदान प्राप्त किया हो तो :

ई) विदेशी एजेन्सी से :

उ) दान से :

ऊ) किराया, गौशाला/एडब्ल्यूओ के उत्पादों की बिक्री से:

ए) योग: प्राप्तियाँ/आय (अ-ऊ) :

3. स्थाई जमा/ बाण्ड के रूप में जमा का विवरण :

4. पिछले वर्ष (2016-17) की आडिट रिपोर्ट (वार्षिक लेखा) अलग से संलग्न करें, यदि पिछले वर्ष की आडिट रिपोर्ट व उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया हो तो बोर्ड को भेजें ।

5. संस्था की पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट/क्रियाकलापों की रिपोर्ट (पिछले वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट के बिना अनुदान पर विचार नहीं किया जायेगा)
6. चालू वित्तीय वर्ष (2017-2018) के दौरान नियमित : अनुदान के तहत निम्नलिखित योजनानुसार एडब्ल्यूबीआई से मांगी आवश्यक कुल वित्तीय सहायता
- क. पशु शरणागृह के मरम्मत/देख-रेख हेतु
ख. पानी की हौदी के निर्माण/सुविधाएँ हेतु
ग. बचाये गये पशुओं के देख-रेख हेतु
घ. बीमार पशुओं के लिए दवाईयों के क्रय/चिकित्सा उपकरणों के क्रय हेतु
ङ. स्थापना व्यय: पशुचिकित्सकों, निरीक्षकों, पशुचिकित्सा सहायकों, कम्पाउण्डरों, पशु रोगी वाहन चालकों को निर्बंधित करने पर व्यय
- च. बाँयो-गैस उत्पादन, जैविक खाद, खिंचाव शक्ति, बाँयो-गैस से बिजली उत्पादन पर व्यय (स्वीकृत नियमित अनुदान से अधिकतम 25%)
7. वित्तीय सहायता के लिए अपेक्षित अन्य विवरण :
- क. क्या जीव जन्तुओं के लिए हस्पताल या औषधालय की सुविधाएँ उपलब्ध है? यदि हाँ, तो निर्धारित करें कि क्या वह औषधालय है या हस्पताल।
- ख. क्या एम्बुलेंस या चलता-फिरता जीव जन्तु क्लिनिक उपलब्ध है? यदि हाँ, तो वाहनों की संख्या का विवरण एवं निर्माता और मॉडल का विवरण दें। क्या बोर्ड/मंत्रालय ने वाहन दिया है? यदि हाँ, तो स्वीकृति/क्रय का विवरण दें। पिछले वर्ष में वाहन के उपयोग का उल्लेख करें।
- ग. क्या जीव जन्तुओं के लिए आश्रयगृह उपलब्ध है?: यदि हाँ, तो आश्रयगृहों की संख्या का विवरण एवं निर्मित भवन के क्षेत्रफल का विवरण दें। क्या बोर्ड/ मंत्रालय ने अनुदान दिया है? यदि हाँ, तो स्वीकृति/ निर्माण किये गये वर्ष का विवरण दें।
- ङ. आश्रयगृह/(गृहों) में आज दिनांक तक संरक्षित जीव जन्तुओं की संख्या का सत्यापन राज्य सरकार के पशु पालन विभाग के पशु चिकित्सा अधिकारी का नाम, पता, दूरभाष नंबर आदि का विवरण दें। (पशु सत्यापन का प्रपत्र संलग्न है) (किसी भी पक्षी को पिंजरे में न रखें तथा इसके लिए कोई अनुदान नहीं है।)
8. दूध की बिक्री से प्राप्त आय :
9. संस्था के सभी कार्यकारिणी समिति/प्रबन्ध समिति के सदस्यों का विवरण निम्नलिखितानुसार भिजवायें।

क्रमांक	नाम	पद	पता/मोबाइल/ दूरभाष/ ई-मेल आई. डी.
1			
2			

- त्वरित पत्राचार के लिए एक ई-मेल आई.डी. देना चाहिए ।

हम यह प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त दिये गए सभी विवरण सत्य हैं और संस्था के रिकार्ड के अनुसार सही हैं। वित्तीय सहायता आवेदन-पत्र प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति की संस्तुति के साथ प्रस्तुत है।

अध्यक्ष

(नाम एवं हस्ताक्षर मोहर सहित)

सचिव

(नाम एवं हस्ताक्षर मोहर सहित)

आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज / सूचना प्रस्तुत करें - अनुदान के लिए अपूर्ण

आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा :

1. संस्था को नीति आयोग के पोर्टल “NGO DARPAN” में पंजीकृत कराकर अपने आवेदन को जमा करने से पहले संस्था का यूनिक नम्बर प्राप्त करना चाहिये। आवेदन पत्र के साथ यूनिक नम्बर की प्रति संलग्न करना चाहिए।
2. आवेदन पत्र शुल्क रू.100/- की डी.डी. “भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड”, चेन्नई के नाम पर देय ड्राफ्ट बनवाकर भिजवाये। डी.डी. के पीछे संस्था का नाम, पता व बोर्ड की मान्यता कोड संख्या लिखें।
3. आवेदन पत्र को पूर्ण कर सम्बन्धित राज्य पशु कल्याण बोर्ड के माध्यम से भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड, मुख्यालय चेन्नई को भिजवावे। बिना संलग्नक या अधूरे आवेदन-पत्र जमा नहीं किया जाना चाहिए, अन्यथा आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. यदि आपके बैंक के खाते में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पद्धति की सुविधा नहीं है तो आपसे निवेदन किया जाता है कि आप किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खुलवाये जिसमें इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पद्धति की सुविधा हो तथा बैंक खाते का विवरण बोर्ड को तत्काल भिजवाये। यदि पहले दिया गया हो तो इसे न भिजवाये।
5. यदि संस्था गोबर-गौमूत्र से कोई भी उत्पादन कर रही है तो उससे सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण दें।
6. यदि आपकी संस्था को पिछले वर्ष या वर्षों में जारी अनुदान के लिए चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के द्वारा सत्यापित एवं हस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं आडिट लेखा विवरण बकाया हो तो, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के सदस्यता नम्बर एवं मोहर सहित भिजवाये अन्यथा अनुदान पर विचार नहीं किया जायेगा (संलग्न नमूनानुसार)।
7. संस्था के पिछले वर्ष 2016-2017 की वार्षिक रिपोर्ट, आय-व्यय लेखा विवरण व तुलन पत्र, आडिट रिपोर्ट, क्रिया-कलापों एवं प्रेस विज्ञप्तियों की प्रतियों सहित वित्तीय सहायता आवेदन पत्र के साथ भिजवाये।
8. संस्था के सभी कार्यकारिणी समिति/प्रबन्ध समिति के सदस्यों का विवरण क्रम संख्या 9 के प्रारूपानुसार भिजवाये।

.....

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के लैटर पैड पर तैयार किया जाए

जी.एफ.आर. 19-ए

(नियम 212 (1) देखें)

उपयोगिता प्रमाण-पत्र का फार्म

क्रम संख्या	*पत्रांक एवं दिनांक	धनराशि (रु.)
		कुल

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि वर्षाविधि के दौरान कुल रुपये की अनुदान राशि नामक संस्था के पक्ष में इस मंत्रालय/विभाग के पत्रांक* के अनुसार दिया गया एवं रुपये गतवर्ष में अवशेष रहा तथा कुल रुपये का उपयोग के उद्देश्य में किया गया जिसके तहत अनुदान प्रदान किया गया था। कुल अवशेष रुपये जिसका उपयोग वर्षांत तक सरकार (पत्र संख्या दिनांक) को वापिस किया गया, जिसका समायोजन प्रदत्त धनराशि को अगले वर्ष में किया गया।
2. यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रदत्त अनुदान जो संस्था को प्रदान किया गया था, उसकी सारी शर्तों से सहमत है/पूरा करते हैं कि निम्नलिखित जांच के तहत हमने सम्पूर्ण धनराशि को भली प्रकार से उपयोग में लाया गया, जिसके लिए हमें अनुदान प्रदान किया गया था।

प्रयुक्त जांच की गई

1. हस्ताक्षर
2. पद
3. दिनांक
- 4.
- 5.

संस्था के सचिव/अध्यक्ष के
हस्ताक्षर एवं मोहर

चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के
हस्ताक्षर एवं मोहर

(अनुग्राही संस्था द्वारा रु.10/- के न्यायिकेतर स्टॉम्प पेपर पर निष्पादित किया जाये)

उत्तरदायित्व बंध-पत्र

भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड, चेन्नई को अनुदान के लिए प्रस्तुत हमारे आवेदन-पत्र के संदर्भ में हम निम्नलिखित उत्तरदायित्व अनुदान के विचार के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।

- (1) हम(संस्था का नाम एवं पता).....
.....(ए.डब्ल्यू.बी.आई कोड संख्या.....) नर बछड़ों को नीलाम नहीं करेंगे न ही बेचेंगे तथा प्रजनन के लिए उपयोग में न लिया गया तो उनका बन्ध्याकरण करवा लेंगे।
- (2) हम सभी नर बछड़ों के रख-रखाव का रिकार्ड रखेंगे और अगर नर बछड़े कृषि योग्य हैं और किसानों को दिये गये तो उनसे उत्तरदायित्व बंध-पत्र लिया जायेगा कि वे इन बछड़ों को किसी को भी नहीं बेचेंगे।
- (3) हम संस्था की ओर से यह उत्तरदायित्व लेते हैं कि संस्था किसी भी प्रकार से भ्रष्ट व्यवहार से ग्रसित नहीं है। हम ये भी प्रमाणित करते हैं कि अन्य किसी अनुदान देने वाली संस्था (सरकारी, गैर-सरकारी, अन्तर्राष्ट्रीय, दानदाताओं) के द्वारा काली सूची में नहीं रखा गया है ।
- (4) हम प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त कार्य हेतु अन्य सरकारी स्रोतों से अनुदान प्राप्त/मांग नहीं की है।
- (5) हम यह उत्तरदायित्व लेते हैं कि एम्बुलेंस वाहन के उपयोग से सम्बन्धित लॉग बुक की त्रैमासिक रिपोर्ट का विवरण बोर्ड को प्रस्तुत करेंगे। हम घायल/दुर्घटना से पीड़ित जीव जन्तुओं की सेवा के लिए आवश्यक पशु चिकित्सक/सहायक चिकित्सक/सहायकों को एम्बुलेंस के साथ उपचार के लिए भिजवायेंगे ।
- (6) हम यह उत्तरदायित्व लेते हैं कि आवेदन-पत्र में दिये गये सभी विवरण विशेषकर पिछले वर्ष संस्था में शराणागत/उपचारित पशुओं की संख्या का विवरण सही है। हम जानते हैं कि यदि उपरोक्त कोई भी विवरण यदि बोर्ड के निरीक्षण के समय गलत हुआ तो हम पर वैधानिक/दण्डनीय कार्यवाही करने के साथ ही संस्था को काली सूची में डाला जायेगा।

सचिव के हस्ताक्षर

अध्यक्ष के हस्ताक्षर

(साफ अक्षरों में नाम, पता, दूरभाष नम्बर एवं हस्ताक्षर मोहर सहित)

संलग्नक II

(बैंक के लैटर हैड पर प्राप्त करें)
(यदि पहले नहीं दिया गया हो तो)

प्रति

सचिव

भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड

चेन्नई-600041

हम निम्नलिखित विवरणों का सत्यापन करते हैं कि निम्न दर्शित संस्था का खाता हमारे बैंक में है तथा उसके खाते में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पद्धति द्वारा अनुदान अंतरित किया जा सकता है।

1. संस्था का नाम :
2. संस्था का पता :
3. बैंक का नाम, शाखा तथा पता :
4. संस्था का खाता संख्या :
5. बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड नम्बर :
6. संस्था द्वारा हस्ताक्षरित एवं नामित व्यक्तियों के नाम, पता तथा पद का विवरण दें :

बैंक के व्यवस्थापक का नाम व हस्ताक्षर

मोहर

निरीक्षण एवं पशु सत्यापन रिपोर्ट
(राज्य सरकार के पशु पालन विभाग से सम्बन्धित जिले के पशुचिकित्सा
अधिकारी/वन विभाग के रेंज अधिकारी से प्राप्त करें)

प्रति,

सचिव, भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड

चेन्नई - 600 041

यह प्रमाणित किया जाता है कि निम्नलिखित संस्था के शरणागृह में आश्रित पशुओं का विवरण निम्नानुसार दिया गया है:-

1. संस्था का नाम एवं पता :

2. शरणस्थल का पता :

3. उपलब्ध शरणागृहों की संख्या का विवरण :

4. 31.3.2017 दिनांक तक शरणागृह में आश्रित पशुओं की संख्या का विवरण।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
गायें	भैसे	दुधारू पशु	बैल / सांड	नर बछड़े	मादा बछड़े	घोड़े	गधे	भेड़े/ बकरियाँ	बिल्लियाँ/ बिलौटे	कुत्ते/ पिल्ले	अन्य जीव जन्तु (श्रेणी दें)	योग

अन्य पशुओं का विवरण (कॉलम नं.12)

5. वर्षाविधि के दौरान बचाये गये पशुओं की संख्या का विवरण :

6. वर्षाविधि के दौरान संस्था द्वारा उपचार किये गये पशुओं का विवरण (संस्था के द्वारा रखे गए उपचार रजिस्टर के आधार पर सत्यापित)

अ) हस्पताल/संस्था की डिस्पेंसरी में :

आ) तत्काल उपचार किये गये पीड़ित एवं

घायल पशुओं का विवरण :

इ) चिकित्सा शिविरो में :

ई) चलता-फिरता उपचार केन्द्र के द्वारा :

कुल :

7. संस्था द्वारा दायर किये गये क्रूरता के मामलों की संख्या :

8. संस्था द्वारा दायर किये गये मुकद्दों की संख्या :

9. संस्था में कार्यरत पशु चिकित्सक/सहायक पशु चिकित्सक/

पशुओं की देख-भाल के सहायकों की संख्या

10. पशु चिकित्सा वाहन की खरीद बोर्ड /मंत्रालय के सहायता :

अनुदान के अन्तर्गत खरीदा गया था। उसका यथोचित उपयोग किया गया है।

हम यह प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त दिये गए सभी विवरण व संस्था द्वारा रखे गए रिकार्डों निरीक्षण के दौरान सही पाये गये हैं। संस्था का अन्तिम निरीक्षण को किया गया है।

हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर

(या)

हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर

अधिकारी का नाम (पशु पालन विभाग)

अधिकारी का नाम (वन विभाग)

पद

पता / दूरभाष संख्या:

पद

पता / दूरभाष संख्या: